

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रावतभाटा

बद्रीलाल

बनाम

राफूर मोहम्मद वगैरह

किस मुकदमा




प्रार्थना-पत्र

नं.

72

सन्

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस में जारी हुए
06/08/2025	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी/गणों को सम्मन मय नकल जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते नोटिस तामील दिनांक 26/08/2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चिन्तौड़गढ़)</p>	
26/08/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/09/2025 को पेश हो।</p> <p>5.0.0.</p>	
17/09/25	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. साहब गामीण अंगवति/विर कोराव पधारवे-रं। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/10/25 को पेश की जावे।</p> <p>Bijij</p>	
15/10/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित/वादी द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो प्रा० पत्र वास्ते राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है। अतः वादी द्वारा प्रा० पत्र में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं वादने से प्रा० पत्र इसी स्तर में बिट्टे में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुगर होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर है।</p>	<p>कॉ. बद्रीलाल</p> 

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चिन्तौड़गढ़)